बिहार सरकार,

लघु जल संसाधन विभाग।

पत्रांक– 5825 पटना, दिनांक 10.12.18

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता/
अधीक्षण अभियंता/
कार्यपालक अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

विषय– सभी राजकीय नलकूपों को पंचायतों को देने के निमित के लिए किसी प्रक्रिया के चलते विचाराधीन टेंडरों के सम्बन्ध में।

प्रसंग– विभागीय पत्रांक– 5296 दिनांक– 23/11/2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का स्मरण करें। उक्त के द्वारा सभी राजकीय नलकूपों/आहर–पईन की मरम्मति के सभी टेंडरों को अगले आदेश तक रोका गया था, क्योंकि इसे पंचायत में देने पर विचार हो रहा था। अब विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि प्रथम चरण में केवल नलकूपों को पंचायत को दिया जायगा। आहर–पईन के सम्बन्ध में बाद में विचार किया जायगा।

अतः उपर्युक्त विभागीय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि आपके स्तर पर आहर–पईन से संबंधित यदि कोई टेंडर की प्रक्रिया विचाराधीन है, तो उसे पूरा कर कार्य प्रारम्भ करें। नलकूपों के टेंडर पर रोक यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन

(के0के0 पाठक)
प्रधान सचिव।